न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 06/2020

उनवान

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री नारायण जाति यादव निवासी नई कोठ तन बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट दुरूस्ती इन्द्राज</u>

उपस्थित 1 श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार अप्रार्थी

आदेश दिनांक 15/02/2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत पेश किया गया कि हाॅल खाता सं0 455 के आराजी खसरा नम्बर 1390,1391 कुल किता 2 रकबा 0. 51 है0, खाता सं0 154 के ख0नं0 1460 रकबा 1.50 है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा में स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायण दर्ज है जो सही है तथा खाता सं0 156 के ख0नं0 1389, 1393, 1404/2 कुल किता 3 रकबा 0.66 है0,खाता सं0 157 के ख0नं0 1402 रकबा 0.46 है0, खाता सं0 155 के ख0नं0 1002/4, 1003/2, 1004/3, 1080, 1083, 989/1, 990/2 कुल किता 7 रकबा 1.49 है0 यव खाता सं0 159 के ख0नं0 1392 रकबा 0.05है0, एवं खाता सं0 160 के ख0नं0 1231 रकबा 0.01है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा मे स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम लक्ष्मण पुत्र नारायण दर्ज है। प्रार्थी का नाम सरकारी दस्तावेज में लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायण है तथा प्रार्थी कुछ भूमि में तो सही नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज लेकिन कुछ भूमि में लक्ष्मण दर्ज होने सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से अपने पत्र कमाक भू0अ0/2021/ 332 दिनांक 28.1.2021 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1389, 1393, 1404/2, 1392 इत्यादित में लक्ष्मण पुत्र नारायण अहीर के नाम से नामान्तकरण स्वीकार हुआ था । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर निवेदन किया कि प्रार्थी राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र आदि सरकारी दस्तावेज में सही नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज है , लेकिन कुछ राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मण दर्ज होने से तथा प्रार्थी के नाम का अन्तर होने से वैक ऋण, व सरकारी सहायता आदि प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेज व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थी का नाम लक्ष्मण दर्ज होना साबित होता है तथा सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, पहचान पत्र आधार कार्ड आदि में प्रार्थी का सम्मानीय नाम लक्ष्मीनारायण पुत्र नारायण है तथा राजस्व रिकार्ड में बोलता नाम दर्ज होने से राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि हाल खाता सं0 156 के ख0नं0 1389, 1393, 1404/2 कुल किता 3 रकबा 0.66 है0, व खाता सं0 157 के ख0नं0 1402 रकबा 0.46 है0, खाता सं0 155 के ख0नं0 1002/4, 1003/2, 1004/3, 1080, 1083, 989/1, 990/2 कुल किता 7 रकबा 1.49 है0, खाता सं0 159 के ख0नं0 1392 रकबा 0.05है0, एवं खाता सं0 160 के ख0नं0 1231 रकबा 0.01है0 वाके ग्राम बिदारा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के राजस्व रिकार्ड में लक्ष्मण पुत्र नारायण के स्थान पर लक्ष्मीनारायण उर्फ लक्ष्मण पुत्र नारायण जाति अहीर निवासी बिदारा के नाम दुरूस्ती करने के तहसीलदार शाहपुरा को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे ।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2021 को सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर